संख्या-3476/सैंतीस-2-2014-1(53)/02

प्रेषक,

रमाशंकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सलाहकार (सांख्यिकीय),
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय, भारत सरकार,
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास,
दिल्ली मिल्क स्कीम काम्पलेक्स,
शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 06 जनवरी, 2015

विषयः- राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में उपलब्ध केन्द्रांश के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1296-98/15(10)संख्या अनुभाग-2/2014-15, दि0-02.12.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये राज्य में पशुधन संख्या एवं विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमान प्राप्त करने की सर्वेक्षण योजना (50 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल रू0-45.04 लाख की धनराशि केन्द्राँश के रूप में प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0-21.20 लाख की धनराशि का उपभोग कर लिया गया है और रू0-23.84 लाख (वेतन अधिष्ठान मद में रू0-1.44 लाख, टी.ए./डी.ए. में रू0-18.00 लाख, आई.टी.सोल्यूशन में रू0-2.00 लाख एवं रिफ्रेशर ट्रेनिंग में रू0-2.40 लाख) की धनराशि अवशेष है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित बजट का सदुपयोग किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रमाशंकर)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-3476(1)/सैंतीस-2-2014- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी केन्द्रांश अवमुक्त कराने हेतु वांछित प्रयास तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रमाशंकर)
विशेष सचिव।